

फा.क्र. एफ.6-15/2011-त.प.

**इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय**  
शामला हिल्स, भोपाल



**निविदा की अन्तिम तिथि बढ़ाना**

दैनिक दरों पर किराये से वाहन हेतु निविदा दिनांक 13/12/2011 को प्रकाशित की गयी थी। समसंख्यक निविदा को पर्याप्त संख्या में न प्राप्त होने के कारण अंतिम तिथि दिनांक 09/01/2012 तक बढ़ाई जा रही है। निविदाओं को दि. 09/01/2012 को अपराह्न 4:00 बजे तक जमा किया जा सकता है। यह निविदाएँ उसी दिन 4:30 बजे खोली जायेगी। शर्तों का विस्तृत विवरण निविदा प्रपत्र के साथ कार्यालय में कैशियर के पास रु. 500/- के भुगतान पर निविदा को खोले जाने की तिथि को अपराह्न 1:00 बजे तक कार्यालयीन दिवसों में प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र [www.igrms.com](http://www.igrms.com) पर भी उपलब्ध है। निविदा की अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

**निदेशक**

## इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय

(संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान,)

शामला हिल्स, भोपाल 462013 (म.प्र.) दूरभाष : 0755-2661319, फ़ैक्स : 0755-2661458

### INDIRA GANDHI RASHTRIYA MANAV SANGRAHALAYA

(Ministry of Culture, an autonomous organization of Govt. of India)

Shamla Hills, Bhopal 462013 (M.P.) Tel : 0755-2661319, Fax : 0755-2661458

निविदा सूचना क्र. : 6-15/2011-त.प.

Tender Notice No. : 6-15/2011-TC

दिनांक : 31/12/2011

Dated : 31/12/2011

### निविदा आमंत्रण सूचना / Notice Inviting Tenders

दैनिक दरों पर किराये से वाहन / Hiring of Motor Vehicle on hiring charges

ख्यातिप्राप्त एवं अनुभवी सेवादाताओं से एतद् द्वारा निम्नलिखित सेवाओं के लिये मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। Sealed tenders are hereby invited from reputed and experienced Suppliers for the hiring of Vehicle on daily basis:

S.N.	Nature of Work	QTY	Approximate Total cost	EMD
	कार्यालयीन कार्यों / कार्यशाला / बैठक / भ्रमण / सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु दैनिक दरों पर किराये के वाहन के लिये दरें। Daily rental charges for hiring of vehicles for office works/workshop/meetings/visit/cultural program	आवश्यकता अनुसार  As per requirement	Rs.5,00,000/-	Rs.10,000/-

Tenders will be received up to 16:00 hrs of 09/01/2012

Time and date of opening of tender are 16:30 hrs of 09/01/2012

Venue of opening of tender is: IGRMS, Bhopal.

Cost of Tender form **Rs. 500/-**. Tender form may be downloaded from under mentioned site and may be sent along with DD for **Rs.500/-** in favour of **Director, IGRMS**, payable at Bhopal.

Sir,

I/We hereby agree to undertake to provide the Motor Vehicles on hiring to the Director, IGRMS, Shamla Hills, Bhopal at the rates/ amount quoted by me/us in the attached tender document. I/We abide by all the prescribed rules and regulations & terms and conditions supplied by the Sangrahalaya(enclosed). The Earnest money deposit for Rs...../- in the form of Demand Draft drawn in favour of the Director, Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal on .....  
.....(Name of the bank) bearing No .....Dated..... is enclosed.

Bhopal

Dated:

Signature of the owner/proprietor

Name of the Firm: Seal

Form No.....has been issued to M/S.....

...../The cost of the Tender form has been received vide

Money receipt No..... dated.....

लेखाधिकारी / डी.डी.ओ.

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय

Accounts Officer/DDO

Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya

The tender detail is also available at Website: [www.igrms.com](http://www.igrms.com)

**इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय**  
पोस्ट बैग नं. 2 शामला हिल्स,  
भोपाल

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को विभिन्न शासकीय कार्य/कार्यशालाओं /बैठकों एवं बाहर से आये अधिकारियों/अतिथियों के स्थानीय एवं क्षेत्र भ्रमण हेतु वाहनों की आवश्यकता पड़ती है। इस हेतु पेट्रोल/डीजल की इंडिका, टाटा सूमो, क्वालीस, स्कार्पियो, इस्टीम, टवेरा, इन्डिगो, मैजिक वेन, बड़ी बस (52 सीटर), बड़ी बस (32 सीटर)/मिनी बस (एसी/नान एसी) आदि वाहनों की दरें आमंत्रित की जाती है। वाहन अपेक्षित मापदण्डों के तहत संधारित और चालन की अच्छी स्थिति वाले होने चाहिये, तकि सेवाएं सुगम और बिना किसी परेशानी के हों।

**किराये पर वाहन उपलब्ध कराने के लिये शर्तें :**

1. किराये पर दिये जाने वाले वाहन का माडल सन् 2008 के बाद या तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये।
2. किराये की अवधि में वाहन में पेट्रोल/डीजल प्रदाय की जिम्मेदारी वाहन प्रदायकर्ता की होगी एवं वाहन के संधारण पर होने वाली टूट-फूट, बैटरी, टायर-टियूब आदि के व्यय की संपूर्ण जिम्मेदारी भी वाहन प्रदाता की ही होगी।
3. यात्रा के दौरान दुर्गम स्थान में भी वाहन ले जाया जा सकता है। वाहन के ड्रायवर का यह कर्तव्य होगा कि उपयोगकर्ता अधिकारी के आदेश का पालन करें।
4. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है। वाहन में अच्छी स्टेपनी अनिवार्य रूप से हो तथा चारों पहिये के टायर-टियूब अच्छे होना चाहिये व माइलो मीटर हमेशा चालू हालत में होना अनिवार्य है। इसकी जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी। मासिक दर आधार पर वाहन को एक दिवस के लिये सर्विसिंग कार्य के लिये छूट इस शर्त पर दी जाएगी कि इसके बदले अन्य वाहन प्रदायकर्ता उपलब्ध कराएगा।
5. वाहन प्रदाता को हर समय ड्रायवर को कार्य करने के लिये तैयार रहने का आदेश देना आवश्यक है।
6. वाहन ड्रायवर के पास नियमानुसार वाहन चालन का वैध ड्रायविंग लाइसेंस होना आवश्यक है।
7. वाहन प्रदाता के ड्रायवर को वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशन एवं ड्रायविंग लायसेंस इत्यादि से संबंधित कागजात हमेशा वाहन में रखने आवश्यक होंगे। वाहन टेक्स पेड एवं वाहन प्रदाता के स्वामित्व में रहना चाहिए। किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन का स्वामी इसके लिये पूर्ण उत्तरदायी होगा तथा समस्त खर्च वहन करेगा।

8. वाहन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता का होगा एवं यदि कोई बैधानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा तय की जाती है तो उसकी संपूर्ण जबावदारी वाहन प्रदाता की होगी।
9. रास्ते में वाहन खराब होने की स्थिति में उपयोगकर्ता अधिकारी को सामान्यतः दो घंटे में सुधार कराकर उपयोग हेतु वाहन उपलब्ध कराना होगा। इस दो घंटे से अधिक वाहन खराब रहने पर उस दिन का किराया नहीं दिया जावेगा। वाहन के खराब होने के स्थान से गैराज तक लाने का दायित्व वाहन प्रदाता का होगा।
10. वाहन प्रदाता को मांग अनुसार वाहन प्रदाय करना अनिवार्य होगा। मांग अनुसार वाहन उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में उसके द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि कार्यालय द्वारा जप्त की जा सकेगी।
11. वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी व वाहन प्रभारी से प्रतिदिन मीटर रीडिंग के अनुसार की गई यात्रा का प्रमाणीकरण लागबुक में कराना होगा। प्रमाणित लागबुक की प्रतिलिपि देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. माइलो मीटर की गड़बड़ी अथवा अन्य किसी कारण से निर्धारित दूरी से अधिक दूरी दर्शाये जाने के स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा सड़क मार्ग को निर्धारित दूरी अनुसार मान्य किया जावेगा।
13. वाहन के स्थानीय या मुख्यालय से बाहर उपयोग में न्यूनतम दूरी का कोई भी बंधन नहीं रहेगा।
14. निविदा जमा करते समय धरोहर राशि रु. 10,000/- का बैंक ड्राफ्ट **निदेशक, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल** के नाम से कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
15. आवेदन में नाम एवं पता स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिये।
16. वाहन प्रदायकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्ति के उपरांत मांग एवं आवश्यकतानुसार इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को मय ड्रायवर के वाहन निर्धारित स्थान (कार्यालय) में निर्धारित समय पर भेजना होगा, अन्यथा स्वीकृति निरस्त कर दी जावेगी।
17. निविदा स्वीकार करने व अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय निदेशक, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल को होगा। यह निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
18. वाहन चालक का वेतन भत्ता एवं अन्य खर्चे, जिसमें वाहन चालक का दैनिक एवं अन्य यात्रा भत्ता भी शामिल है। वाहन प्रदायकर्ता स्वयं वहन करेगा।
19. वाहन की किसी भी समय हटाने का पूर्ण अधिकारी निदेशक, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा।

20. वाहन आवश्यकता/मांग के अनुसार बैठक/कार्यशाला/क्षेत्र भ्रमण आदि कार्यो हेतु समय-समय पर किराये पर लिये जायेंगे तथा वाहनों को आवश्यकता/मांग अनुसार वार्षिक/मासिक किराये पर लिये जा सकते हैं। वाहन आवश्यकतानुसार भोपाल से बाहर भी प्रदेश में सभी स्थानों पर भेजे जा सकेंगे।
21. इच्छुक निविदा दाताओं के नाम पर विचार तभी किया जायेगा जिसके पास कम से कम 05 नग वाहन उनके या उनकी फर्म के नाम पर पंजीकृत हों। फर्म द्वारा किसी अन्य से अनुबंधित वाहन मान्य नहीं किया जायेगा। फर्म/मलिक के नाम से पंजीकृत वाहन की छायाप्रति निविदा के साथ लगाया जाना अनिवार्य होगा। यदि केवल बड़ी बस/मिनी बस की ही निविदा दी जाती है तो उस स्थिति में संबंधित फर्म के पास कम से कम पांच बसें होना अनिवार्य है तथा इसके पंजीयन की छायाप्रति निविदा के साथ लगाया जाना अनिवार्य होगा और सभी प्रकार के वाहन अल्प समय की सूचना पर उपलब्ध कराने में सक्षम हो। यदि निविदाकर्ता द्वारा केवल बस की निविदा दी जाती है तो भी उसके द्वारा 10,000/- की धरोहर राशि देय होगी।
22. मासिक/दैनिक किराये की दर संलग्न प्रपत्र अनुसार अंकित करना होगा। वाहन इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल द्वारा निर्देशित स्थान पर ही पार्क किया जाएगा। जो वाहन मासिक रूप से किराये से सम्बद्ध रहेंगे इन्हें मुख्यालय के बाहर भी भेजा जा सकता है, जिसके देयकों का निराकरण दर पत्रक में उल्लेखित एवं मान्य दरों पर ही किया जावेगा।
23. मान्य दरें आगामी एक वर्ष के लिये लागू रहेंगी। जिन्हें स्वीकृत फर्म व संग्रहालय की सहमति के आधार पर एक वर्ष बाद पुनः आगामी अवधि के लिये बढ़ाया जा सकेगा। तथापि सेवा असंतोषजनक होने पर कभी भी स्वीकृति वापिस ली जा सकेगी एवं तत्संबंध में सभी अधिकार निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के पास सुरक्षित होंगे।
24. संग्रहालय कार्य से वाहन बाहर ले जाते समय यदि कोई टोल टेक्स/पार्किंग का भुगतान किया जाता है तो भुगतान की रसीद मूलतः देयक के साथ प्रस्तुत करने पर वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
25. नियमों के अनुसार टी.डी.एस. की कटौती भुगतान के समय की जायेगी।
26. निविदा कर्ता द्वारा किसी दो शासकीय/अर्धशासकीय विभागों में वाहन उपलब्ध कराये जाने का उपयोगकर्ता विभाग का न्यूनतम तीन वर्षों का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
27. निविदा कर्ता फर्म का सर्विस टेक्स नंबर होना अनिवार्य है।
28. सफल निविदाकर्ता को निविदा स्वीकृति की दिनांक से सात दिवस के भीतर सुरक्षा निधि रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट निदेशक, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के नाम अनिवार्य रूप से देय होगा। सुरक्षा निधि प्राप्त होने के पश्चात धरोहर राशि (EMD) वापिस लौटा दी जायेगी।

29. वाहन प्रदाता के ड्रायवर को पी.एफ. रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
30. सर्विस टेक्स पूर्व वर्षों से दिया जाता रहा है (प्रमाण सहित) तथा सेवाकर के जीवित पंजीयन की प्रति (प्रमाण सहित) तथा सेवाकर के जीवित पंजीयन की प्रति (पिछले 2 वर्षों की) संलग्न करना अनिवार्य है।
31. सन् 2008 से 2011 तक का सस्था का टर्नओवर का विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।
32. विगत तीन वर्षों के आई.टी. रिटर्न की प्रति संलग्न होनी चाहिए तथा पेन कार्ड (PAN Card) की प्रति संलग्न करे।
33. निविदाकर्ता को ट्रांसपोर्ट कार्य के लिये पंजीयन प्रमाण पत्र एवं सर्विस टेक्स क्रमांक की प्रति निविदा के साथ जमा करना आवश्यक है साथ ही सर्विस टेक्स भुगतान से संबंधित पिछले दो वर्षों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
34. बसों के लिये माडल 2007 के बाद होनी चाहिये नयी बस निविदादाताओं के नाम से ही रजिस्टर होनी चाहिये जिसमें कम से कम 5 बसों का पंजीकरण होना अनिवार्य है।
35. सड़क वाहन (जो कार्य पर लगाया जायेगा) को आर.टी.ओ. द्वारा पास किया होना चाहिये और उसका उपयुक्त पंजीयन व बीमा किया होना चाहिये।

निदेशक,  
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय,

क्रं.	पेट्रोल वाहन	प्रति माह हेतु वाहन चालक, ईंधन संधारण एवं सर्विस टेक्स सहित दरें		प्रतिदिन हेतु वाहन, चालक, ईंधन, साधारण एवं सर्विस टेक्स तथा प्रति कि.मी. के हिसाब से दरें			
		ए.सी. सहित	ए.सी. रहित	Min.K.M. Per Day	Extra Hrs. Rate	Night halt Charges	Extra K.M. Charges
1	इंडिका						
2	टाटा सूमो						
3	क्वालिस/स्कार्पियो/टवेरा/इनोवा						
4	आईकान						
5	इन्डिगो						
6	मैजिक वेन						
7	बड़ी बस (52 सीटर)						
8	छोटी बस (36 सीटर)						
9	मिनी बस						

**Letter of Authorisation for attending Bid opening**  
(To reach the Director, IGRMS before the date of bid opening)

To,

The Director,  
IGRMS,  
Bhopal

Subject: Authorisation for attending bid opening on.....(date) in  
the Tender of.....

Following persons are hereby authorised to attend the bid opening for the  
tender mentioned above on behalf of ..... (Bidder) in order  
of preference given below:

Name	Specimen Signatures
1.	

Signatures of Bidder  
Or  
Officer authorised to sign the bid  
Documents on behalf of the bidder

- Note: 1. Maximum of two representatives will be permitted to attend bid opening.  
In cases where it is restricted to one, first preference will be allowed.  
Alternative representative will be permitted when regular representatives  
are not able to attend.
2. Permission for entry to the hall where bids are opened, may be refused in  
case authorisation as prescribed above is not received.